देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/20 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 17 सितम्बर 2022

भीलवाड़ा आबकारी विभाग का कारनामा!!
स्कूल और मंदिर की चार-दीवारी से लगती दुकान मे चल रहा भांग का ठेका!!

आबकारी नियमों का जमकर उड़ रहा मखौल!
ना अनुज्ञाधारी का नाम,पता,ना नौकर नामे का ठिकाना!
ग्राहक कर रहे भांग मे मिलावट की शिकायत!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

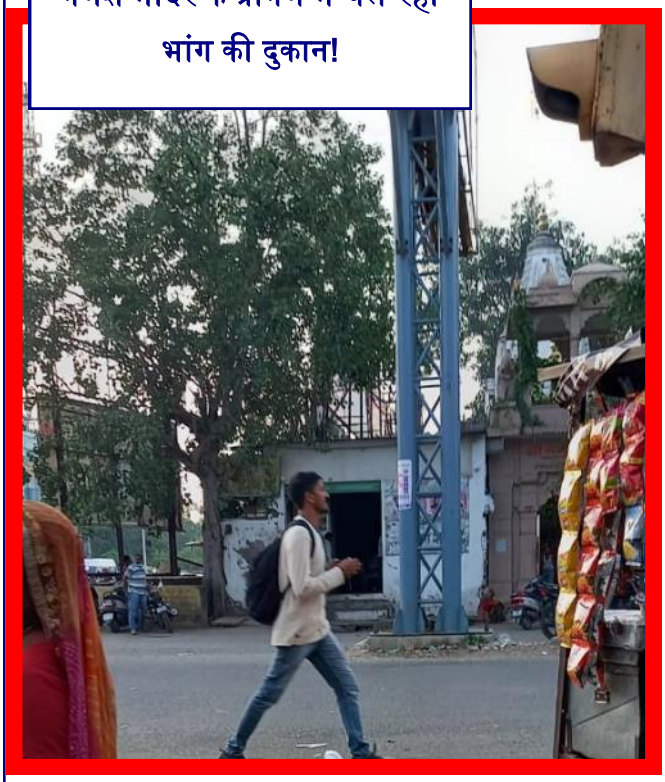

आबकारी अधिकारी खुद ही उड़ा रहे भांग की दुकान खोलने के नियमों का मखौल

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्कूल,कॉलेज,अस्पताल,धार्मिक स्थल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी|साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूल,कॉलेज से भिन्न शिक्षण संस्थान होने की स्थिति मे उनके बंद होने के कम से कम एक घंटे बाद ही उस शराब की दुकान को खोलने की अनुमति दी जा सकेगी|यह नियम शराब की दुकानों के साथ साथ भांग की दुकानों पर भी लागू होते है और भांग की दुकान की निविदा के संबंध मे जारी नियम व शर्तों मे बाकायदा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाता है|

ऊपर की तस्वीर मे स्पष्ट है कि आबकारी विभाग,भीलवाडा द्वारा भीलवाडा शहर के व्यस्ततम बस चौराहे पर भांग की दुकान खोलने का लाईसेंस दे दिया गया,सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुकान भीलवाडा के प्रसिद्ध गणेश मंदिर के प्रांगण मे खुली दुकान मे खोली गई है और इसी प्रांगण की बाउंडरी से लगती श्री महेश शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दीवार है|इस भांग की दुकान की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते है कि भीलवाडा आबकारी विभाग के कुएं मे ही भांग घुली हुई है|

स्कूल से 150 मीटर दूर और मंदिर के पास सालों से चल रहा भांग का ठेका

शहर में रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित गणेश मंदिर के बगल में ही चल रहा भांग का ठेका शिकायतो के बाद भी नहीं हट रहा है। जबकि इस ठेके से महज 150 मीटर दूर ही उच्च माध्यमिक स्कूल भी है। आबकारी विभाग लोगों की शिकायतो पर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। रोडवेज बस स्टैंड से लव गार्डन रोड पर गणेश मंदिर के बगल में करीब पांच-छह साल से भांग का ठेका चल रहा है। इस ठेके से महज 200 मीटर की परिधि से स्कूल, गणेश मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ, रोडवेज बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थान हैं, जहां रोजाना सैकडो लोगों का आना-जाना लगा रहता है।

आबकारी नियमों का जमकर उड़ रहा मखौल!ना अनुज्ञाधारी का नाम,पता,ना नौकर नामे का ठिकाना!रात 8 बजे बाद भी खुला रहता है यह ठेका|

इस ठेके को हटाने के लिए कई बार आबकारी विभाग समेत जिला प्रशासन के अधिकारियो को शिकायत की जा चुकी है। लोगों का आरोप है कि लाइसेंसी को राजनैतिक पदाधिकारियों से नजदीकी का फायदा मिल रहा है। बताया गया कि इस दुकान के बाहर साइड में केवल भांग का ठेका लिखा हुआ है, जबकि नियमानुसार दुकान के दरवाजे पर साइन बोर्ड होना चाहिए, जिस पर लाइसेंसी का नाम, समूह का नाम,दुकान का विवरण,विभाग से स्वीकृत नौकरनामा लगाना जरुरी होता है।सूत्रों के अनुसार यह भांग की दुकान लाईसेंसी भंवर सिंह चौहान के नाम है|लेकिन दुकान पर ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है|

जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग की ओर से निर्धारित समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही दुकान खुली रह सकती है।इसके बावजूद ये ठेका कई बार रात आठ बजे बाद भी खुला हुआ रहता है। भांग के ठेके की समस्या को लेकर कई बार क्षेत्र के लोगों ने पुलिस व प्रशासन को शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में यहां नशा करने वाले लोगों का पूरे दिन जमघट लगा रहता है। इसके पास ही निजी बस स्टैंड भी है जहां यात्री हमेशा मौजूद रहते हैं, जिनमें महिलाएं भी होती हैं।

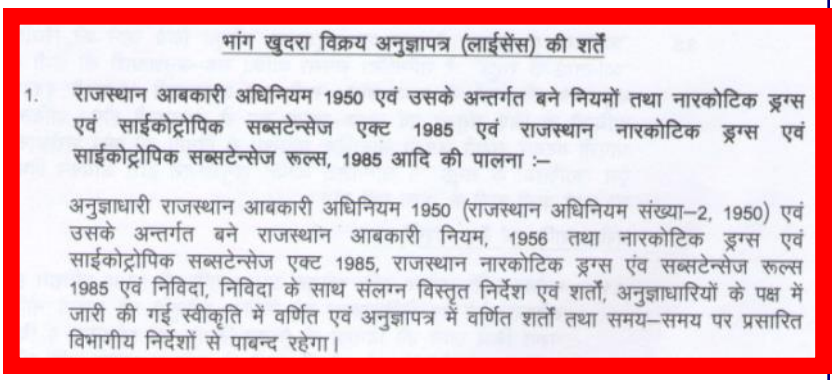

भांग खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) की शर्तें

1. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स, 1985 आदि की पालना :–

अनुज्ञाधारी राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (राजस्थान अधिनियम संख्या–2, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985, राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एंव सब्सटेन्सेज रूल्स 1985 एवं निविदा, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति में वर्णित एवं अनुज्ञापत्र में वर्णित शर्तों तथा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द रहेगा।

ग्राहक कर रहे भांग मे मिलावट की शिकायत!!

सबसे गंभीर बात यह है कि इस दुकान के ग्राहक माल मे मिलावट से परेशान है|कुछ ग्राहकों का तो यह तक कहना है कि लाईसेंसी द्वारा माल मे जम कर मिलावट की जाती है और यदि विभाग बोगस ग्राहक भेजकर,माल का सेंपल टेस्ट करवाए तो नशीले पदार्थों की मिलावट सामने आएगी जो कि अपने आप मे गंभीर मामला है|

5.4 अनुज्ञाधारी को अपने समूह की सीमा के 2.5 किलोमीटर शुष्क क्षेत्र (Dry zone) में कोई दुकान संचालन करने की अनुमति नहीं होगी।

5.5 अनुज्ञाधारी भांग दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी, शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, धामिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नहीं लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबन्ध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा। महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानों के लिए यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बन्द होने के एक घन्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी। इस बाबत राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधान एवं विभागीय निर्देश अन्तिम होंगे।

5.6 अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नहीं लगा सकेगा। हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।

5.7 माननीय सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2016, 31.03.2017, 11.07.2017 एवं 23.02.2018 के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों (National highways and State highways) पर भांग की दुकानों की अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दुरी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

5.8 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर 125 X 75 से. मी. आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम व विवरण, दुकान के खुलने व बन्द होने का समय आदि का उल्लेख हो, लगाना होगा। भांग दुकानों का केवल एक ही दरवाजा सार्वजनिक सड़क पर होगा तथा इस एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की आला या दीवार में छेद इत्यादि नहीं होगा। दरवाजे के अलावा पूरी दुकान पुख्ता पक्की होगी। आमतौर से भांग की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके। जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एवं उसके अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं रख सकेगा। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकेगा, जैसे कि गाना, नाच व रेडियो/टेलीविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा।

भांग खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र की शर्तें,जिसका लाईसेंसी भंवर सिंह चौहान द्वारा खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है|

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है/पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है/पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है|